14

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी डॉ प्रतिभा डोटासरा (आर.ए.एस.)

दावा नम्बर 06/2023 दायर दिनांक–06.01.23

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति दरोगा निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. मंगेज बेवा सवाई सिंह
3. बलबीर पुत्र सवाई सिंह समस्त जाति दरोगा निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ़।
4. जगदीश पुत्र गंगला
5. मूला शंकर पुत्र गंगला समस्त जाति कुम्हार निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ़।
6. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमरसिंह शेखावत
वकील प्रति. नं. :– श्री सुरेश कुमार सैनी

दावा बाबत घोषणा व
रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 01.01.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 348 खसरा नम्बर 1480/763 रकबा 0.1600 है0 खसरा नम्बर 505 रकबा 0.3500 है0 भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.5500 है0 भूमि स्थित है जिस पर आवेदक व अनावेदक संख्या 01 लगायत 05 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादी तथा प्रति0 सं0 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा तथा प्रति0 सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि वादी व प्रति0 सं0 1 लगायत 3 की पैत्रिक भूमि है। जो पीढियों से चली आ रही है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। उक्त भूमि वादी व प्रति0 सं0 1 लगायता 3 को पूर्वज स्व0 श्री मांग्या पुत्र हरजी के वारीसान होने पर प्राप्त हुई है। उपरोक्त भूमि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के दादा मांगू उर्फ मांग्या के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के दादा मांगू उर्फ मांग्या पुत्र हरजी व उनकी पत्नी गोमती का स्वर्गवास वर्षो पूर्व हो चुका है तथा वादी के पिता यानी स्व0 सवाई सिंह पुत्र मांग्या का देहान्त भी वर्ष 2001–2002 में हो चुका है। अतः वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के वैध अधिकारों के रक्षार्थ हेतु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में से स्व0 मांग्या उर्फ मांगु पुत्र हरजी का नाम देहान्त होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का सामलाती रूप से वादी व प्रति0 सं0 1 लागायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद पत्र में प्रति0 सं0 4 व 5 के विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही गयी है अतः उनका हिस्सा यथावत रखा जावे।

वाद वादी बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस उमर की डिक्री फरमाई जावे कि वाके ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 348 खसरा नम्बर 1480/763 रकबा 0.1600 है0 खसरा नम्बर 505 रकबा 0.3500 है0 भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.5500 है0 भूमि यानि कुल खाता 1 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.0600 है0 भूमि में से स्व0 मांग्या उर्फ मांगु पुत्र हरजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 3 [illegible] होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद [illegible] तबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत [illegible] होने के बाजवूद तामिल उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने उपस्थित न्यायालय होकर वाद पत्र अनुसार डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 14:35:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वाद अनुसार निर्णय जारी करने पर सहमति देने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण ने सहादत वादी हेतु सुरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह उपस्थित न्यायालय होकर चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादीगण ने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श 1 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोठड़ा, प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल सन 1985 प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत्

स.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

2013–2016 प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत् 2025–28 प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी संवत् 2013–16 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी संवत् 2021–24 प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी संवत् 2025–28 प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी संवत् 2029–32 प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी संवत् 2043 प्रदर्श 10 नकल जमाबंदी संवत् 2046–49 प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी संवत् 2050–53 प्रदर्श 12 नकल जमाबंदी संवत् 2054–57 प्रदर्श 13 नकल जमाबंदी संवत् 2058–61 प्रदर्श 14 नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 348 खसरा नम्बर 1480/763 रकबा 0.1600 है0 खसरा नम्बर 505 रकबा 0.3500 है0 भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.5500 है0 भूमि यानि कुल खाता 1 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.0600 है0 भूमि में से स्व0 मांग्या उर्फ मांगू पुत्र हरजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 3 को वारीसान होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 348 खसरा नम्बर 1480/763 रकबा 0.1600 है0 खसरा नम्बर 505 रकबा 0.3500 है0 भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.5500 है0 भूमि यानि कुल खाता 1 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.0600 है0 भूमि में से स्व0 मांग्या उर्फ मांगू पुत्र हरजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक **01.01.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.सी. प्रतिभा डोटासरा)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 14:35:21 IST
Reason: SelfAttested

16

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास डॉ प्रतिभा डोटासरा (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 06/2023 **(सुरेन्द्र बनाम नरेन्द्र आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **डॉ प्रतिभा डोटासरा** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 01.01.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 348 खसरा नम्बर 1480/763 रकबा 0.1600 है0 खसरा नम्बर 505 रकबा 0.3500 है0 भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.5500 है0 भूमि यानि कुल खाता 1 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.0600 है0 भूमि में से स्व0 मांग्या उर्फ मांगू पुत्र हरजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.01.2024 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर)
ए.सी.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
डॉ प्रतिभा डोटासरा (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 14:35:21 IST
Reason: SelfAttested